

दिनांक - 15.11.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने 02 अभियुक्तों को सट्टे की खाईबाडी करते हुए 05 मोबाइल फोन, 12,400 /-की नगदी, 05 एटीएम कार्ड, केल्कुलेटर, ड्राइविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड आदि सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण -

दिनांक 14.11.2024 को थाना स्योहारा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मौ0 इस्लाम नगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर में इकबाल पुत्र रफीक अहमद अपने मकान में आसिफ पुत्र इकबाल निवासी मौ0 हयातनगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर के साथ सट्टे की खाईबाडी करता है। सूचना पर थाना स्योहारा पुलिस ने मकान में दबिश देकर अभियुक्तगण 1.इकबाल पुत्र रफीक निवासी मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2.आसिफ पुत्र इकबाल निवासी मौ0 हयातनगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद



बिजनौर को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से ₹ 12,400 /- नगद, 05 मोबाइल फोन, केल्कुलेटर, 05 एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड, रिजस्टर, आदि बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 559/2024 धारा 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.इकबाल पुत्र रफीक निवासी मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.आसिफ पुत्र इकबाल निवासी मौ० हयातनगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी -

₹ 12,400 /- नगद, 05 मोबाइल फोन, केल्कुलेटर, 05 एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड, रिजस्टर, आदि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमित कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2. उ0नि0 श्री यशदेव शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3. उ0नि0 श्री कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 4. उ0नि0 श्री अस्कर खान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

- 5. हे0कां0 176 लोकेश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 6. हे0कां0 724 ओमवीर सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 7. कां0 332 छोटेलाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 8. कां0 1962 रजनीश थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 9. म0कां0 277 कोमल रानी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 10.म0कां0 853 जोनी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर प्रेस नोटः- थाना स्योहारा

दिनांक 15.11.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने अभियुक्त को चोरी के 02 बैट्रों सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 26.10.2024 को वादी ब्रजवीर सिंह पुत्र श्री नरेश कुमार नि0 ग्राम जमालपुर महीपत थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के ट्रैक्टर का बैट्रा चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 527/2024 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



दिनांक 14.11.2024 को वादी रमेश सिह पुत्र बुद्ध सिंह

नि0 ग्राम खानपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा जनपद बिजनौर पर तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के घर से इन्वर्टर का बैट्रा चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ)स0 558/2024 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्माक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त दोनो अभियोगों में समरपाल पुत्र हरकेश सिह नि0 ग्राम खानपुर विल्लौच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाहीः-

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में वांछित अभियुक्त समरपाल पुत्र हरकेश सिंह नि0 ग्राम खानपुर विल्लीच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को चोरी किए गए 02 बैट्रों सिंहत गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त दोनों अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

समरपाल पुत्र हरकेश सिंह नि0 ग्राम खानपुर विल्लौच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगीः-

चोरी किए गए 02 बैट्रे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.का0 332 छोटे लाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.का0 1111 हरपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



दिनांक - 15.11.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गयी भैंस सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.11.2024 को वादी श्री विक्रम सिंह पुत्र उदयराज सिंह निवासी ग्राम कमाला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर अभियुक्त राजवीर पुत्र चरन सिंह निवासी ग्राम कमाला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर के विरुद्ध वादी की भैंस चोरी कर ले जाने के संबंध में मु030सं0 557/2024 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम राजवीर उपरोक्त पंजीकृत कराया।



कार्यवाही -

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त राजवीर सिंह पुत्र चरन सिंह निवासी ग्राम कमाला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को चोरी की गयी भैंस सिंहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। बरामद भैंस को भैंस स्वामी / मुकदमा वादी विक्रम सिंह के सुपुर्द किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजवीर सिंह पुत्र चरन सिंह निवासी ग्राम कमाला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी -

01 भैंस (रंग काला)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.कां0 2135 अमित भाटी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.कां0 129 कुलदीप कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर